भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1188
उत्तर देने की तारीख-28/07/2025

दिल्ली में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अवसंरचना

†1188. श्री मनोज तिवारी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तर-पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अवसंरचना की बढ़ती मांग से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों की उपलब्धता में कमियों का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन या सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार का विचार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नए केंद्रीय सरकारी स्कूल, कौशल विकास केंद्र या उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करने का है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा और समय-सीमा क्या है, और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस प्रकार, राज्य की अवसंरचना संबंधी योजना और अन्य शैक्षिक आवश्यकताओं से संबंधित मामलों का समाधान मुख्य रूप से राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर किया जाता है।

मौजूदा अवसंरचना के अलावा, मौजूदा शैक्षिक सुविधाओं को सुदृढ़ और संवर्द्धित करने के लिए हाल ही में तीन नए स्कूल खोले गए हैं, जिनमें डबल शिफ्ट वाला एक नया स्कूल (एम ब्लॉक, सुंदर नगरी, जिसमें प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 2500 विद्धार्थी हैं) शामिल है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 से देश में स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है, जिसमें तीन पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाएं सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) शामिल हैं। समग्र शिक्षा के स्कूल शिक्षा को समग्र रूप से, पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक की निरंतरता में रखा गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच मिले, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए बच्चों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्यों और दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। समग्र शिक्षा के मानदंडों के अनुसार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के अनुसार वार्षिक योजनाएं तैयार की जाती हैं और उन्हें उनके संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडबल्यूपीएंडबी) प्रस्तावों में दर्शाया जाता है। इसके बाद, इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों तथा पूर्व में स्वीकृत उपायों के लिए राज्य की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार किया जाता है।

(ख): उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में तीन जिले: मध्य दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और शाहदरा शामिल हैं और इन तीन जिलों में से, उत्तर पूर्वी दिल्ली और शाहदरा जिलों में नवोदय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली के सभी 9 जिलों को नवोदय विद्यालय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, जहाँ कुछ ग्रामीण आबादी रहती है।

वर्तमान में, देश में एनआईटी दिल्ली सहित 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(ग): भारत सरकार ने दिसंबर 2024 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में एक नए केंद्रीय विद्यालय को मंजूरी दी है, जो भूमि हस्तांतरण की औपचारिकताएँ पूरी होने और अस्थायी आवास मिलने के बाद कार्यरत हो जाएगा। नए केंद्रीय विद्यालयों को खोलना एक सतत प्रक्रिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार/जिला प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। केंद्रीय विद्यालय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/जिला/क्षेत्र/राज्य/संसदीय क्षेत्र आदि के आधार पर नहीं खोले जाते हैं।

उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले में एक नवोदय विद्यालय स्वीकृत किया गया है। शाहदरा और उत्तर पूर्वी दिल्ली जिलों में उपयुक्त भूमि और अस्थायी आवास की अनुपलब्धता के कारण, उत्तर पश्चिमी दिल्ली स्थित मौजूदा नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर के परिसर में उपलब्ध स्थान में दो अतिरिक्त नवोदय विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) शैक्षणिक वर्ष 2016-17 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग स्नातक छात्रों के लिए 100% शिक्षण शुल्क माफ़ी प्रदान करते हैं। इसके अलावा, आर्थिक रूप से सबसे पिछड़े छात्रों (जिनकी पारिवारिक आय ₹1.00 लाख प्रति वर्ष से कम है) को पूरी शुल्क माफ़ी मिलती है और आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य छात्रों, जिनकी पारिवारिक आय ₹1.00 से ₹5.00 लाख के बीच है, को दो-तिहाई शुल्क माफ़ी मिलती है।

*****